


कार्यालय, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान— बीकानेर

कार्यालय—आदेश

श्रीमती मनीष, प्रधानाध्यापक, राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय, मुन्सरी ब्लॉक—भादरा (हनुमानगढ़) को वित्त विभाग आदेश क्रमांक एफ.6(6) एफ.डी./रूल्स/2010 दिनांक 25.04.12 के प्रावधानान्तर्गत एवं राजकीय चिकित्सालय, हनुमानगढ़ टाऊन द्वारा जारी प्रमाण पत्र संख्या 504 Date: 22-07-2019 की अभिशंषा पर आवेदन दिनांक 18.02.20 से इनके मूल वेतन का 6%(प्रतिशत) जो रू0 600/- (छःसौ रूपये) प्रतिमाह से अधिक ना हो मासिक विकलांग वाहन भत्ता स्वीकृत किया जाता है ।

श्रीमती मनीष, प्रधानाध्यापक, राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय, मुन्सरी ब्लॉक—भादरा (हनुमानगढ़) को (आकस्मिक अवकाश, राजपत्रित अवकाश को छोड़कर) अवकाश काल, कार्यभार सम्भालने हेतु मिलने वाले समय एवं निलम्बन के समय विकलांग वाहन भत्ता देय नहीं होगा ।


(सौरभ स्वामी)

आई.ए.एस
निदेशक


माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक: शिविरा—मा/संस्थाँ/ए-2-7/विकलांग भत्ता/2017

दिनांक: 03-03-2020

प्रतिलिपि:— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु—

1. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, भादरा(हनुमानगढ़)।
2. प्रधानाध्यापक, राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय, मुन्सरी ब्लॉक—भादरा (हनुमानगढ़)
3. रजिस्टर्ड—श्रीमती मनीष, प्रधानाध्यापक, राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय, मुन्सरी ब्लॉक—भादरा (हनुमानगढ़) को मूल विकलांग प्रमाण पत्र सहित प्रेषित।
4. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को आदेश विभाग की बेबसाईट पर अपलोड हेतु
5. निजी/रक्षित पत्रावली


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर